प्रेस नोट

थाना सुरियावां

जनपद भदोही

दिनांक: 26/07/2026

थाना सुरियावां पु लस द्वारा एक राय होकर धारदार ह थयार एवं लाठी डंडा से मारपीट, जान से मारने की को शश एवं गम्भीर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में एक वांछित अ भयुक्त गरफ्तार, भेजा गया जेल

श्री अ भनव त्यागी, भदोही पु लस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना सुरियावां पु लस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पु लस टीम ने मु०अ०सं० 168/26 के तहत व भन्न गंभीर धाराओं में वांछित चल रहे एक अ भयुक्त को गरफ्तार कर लया है।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

थाना सुरियावां के उ0नि0 जितेन्द्र प्रताप यादव अपनी हमराह पु लस टीम (कांस्टेबल महेश कुमार) के साथ क्षेत्र में कानून-व्यवस्था व वांछित अपरा धयों की तलाश में मुस्तैद थे। इसी दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मली क मु०अ०सं०: 168/26 धारा 115(2), 352, 351(3), 324(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) का वांछित अ भयुक्त महजूदा गेट के पास मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पु लस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी की गई। पु लस को देखकर अ भयुक्त ने भागने का प्रयास कया, ले कन मुस्तैद पु लस बल ने घेराबंदी कर गरफ्तार कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्त का नाम व पता:-*

स चन बिन्द पुत्र सुशील बिन्द निवासी महदेपुर, थाना सुरियावां, जनपद भदोही उम्र करीब 24 वर्ष।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 जितेन्द्र प्रताप यादव, कांस्टेबल महेश कुमार थाना सुरियावां जनपद भदोही।